B-2
L-10
Polity

* पहला संविधान संशोधन और सामाजिक न्यायः-

- पहले संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, अनुच्छेद 19(2) में स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों का विस्तार किया गया तथा अनुच्छेद 31(a) एवं अनुच्छेद 31(b) भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 31(b) के अंतर्गत ही नौवीं अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गयी।
- इसके अंतर्गत (अनुच्छेद 15(4)) यह कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य के द्वारा विशेष उपाय किए जाएँगे।
- सामाजिक पिछड़ेपन का आशय जाति व्यवस्था में किसी व्यक्ति का पिछड़ापन है। अतः पिछड़ी जातियां ही सामाजिक रूप में पिछड़े वर्ग हैं। जो पिछड़ी जातियां थी उन्हें शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई इसीलिए

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES

सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ेपन में परिवर्तित हो गया।

- संविधान के अनुच्छेद 340 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के द्वारा पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और राष्ट्रपति ने पहली बार काका कालेलकर आयोग (1953) का गठन किया। इसके बाद 1979 में राष्ट्रपति द्वारा मण्डल आयोग का गठन किया गया। मण्डल आयोग ने पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग किया:-

(i) सामाजिक पिछड़ापन
(ii) आर्थिक पिछड़ापन
(iii) शैक्षिक पिछड़ापन

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का उल्लेख भारत शासन अधिनियम, 1935 में किया गया था और वर्तमान में अनुसूचित जाति व जनजातियों की सूची निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। (अनुच्छेद 341 एवं अनुच्छेद 342)

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

* शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण :-

- अनुच्छेद 15(5) के अनुसार, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को केन्द्रीय शैक्षणिक तथा निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। परन्तु यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में लागू नहीं होगा।
- 93 वां संविधान संशोधन इसलिए भी लाया गया क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने पी० इनामदार वाद में निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का समर्थन नहीं किया।

* आर्थिक पिछड़ापन :-

- 2019 में 103 वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया जिसमें यह उल्लेखित किया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं तथा अन्य निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जो 10% से अधिक नहीं होगा। इसके माध्यम से पहली बार

संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन को भी जोड़ा गया।

* सरकारी सेवाओं में समानता (अनुच्छेद 16)

- अवसर की समानता का आशय सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत अथवा आरंभिक परिस्थिति समान होगी (Level playing field)
- अवसर की समानता में असमान होने के लिए समान अवसर दिया जाता है।
- अवसर की समानता का यह भी अभिप्राय है कि प्रत्येक नागरिक को परीक्षा में भागीदारी का समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन उसे कुशलता और प्रतिस्पर्द्धा लानी होगी क्योंकि अवसर की समानता परिणामों की समानता नहीं है।
- अवसर की समानता, निजी क्षेत्रों के लिए नहीं हैं अपितु सरकारी उद्यमों के लिए है और नियुक्ति का आशय किसी सेवा में प्रवेश से है जबकि रोजगार का अभिप्राय सेवा से जुड़ी हुई सुविधाएं (पदोन्नति, वेतन-भत्ते आदि) हैं।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

* क्षेत्रीय विषमता और क्षेत्रवाद :-

- संसद के द्वारा राज्य के अंतर्गत किसी वर्ग या वर्गों के नियोजन और नियुक्ति के संबंध में निवास को एक आधार बनाया जा सकता है। [अनुच्छेद 16(3)] लेकिन स्थानीय निवासियों को नियुक्त रोजगार में दी गयी यह प्राथमिकता संसदीय विधि के द्वारा निर्धारित होगी। राज्य विधानसभा को इस संबंध में विधि निर्माण की शक्ति नहीं दी गयी है।
- यह संयोग का विषय है कि संविधान निजी क्षेत्रों के रोजगार में निवास को प्राथमिकता नहीं देता इसके बावजूद समय-समय पर कर्नाटक, हरियाणा जैसे राज्यों ने निजी क्षेत्रों में भी स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनायी जो उदारीकरण के वर्तमान दौर में अतार्किक प्रतीत होता है क्योंकि GST लागू होने के बाद सम्पूर्ण भारत को एकीकृत बाजार के रूप में विकसित करने की

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

रणनीति बन रही है।

- यह भी उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19(1)(d) में यह उल्लेखित है कि किसी भी नागरिक को भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवागमन का अधिकार है।

* **सरकारी सेवाओं में आरक्षण:-**

आरक्षण

⇓

संबंधित संविधान संशोधन

⇓

- → 77 वां संविधान संशोधन → अनुच्छेद 16(4)(A) जोड़ा गया
- → 81 वां संविधान संशोधन → अनुच्छेद 16(4)(B) जोड़ा गया।
- 82 वां संविधान संशोधन
- 85 वां संविधान संशोधन

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR